

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, () बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह

रीडर/2022/4798

दिनांक - 14-12-22

प्रार्थीगण

बनाम

प्रार्थीगण

1 मोहनराम 2 रहीमराम 3 वगताराम 4
विशानाराम पिसरान गोरधनराम जाति
ढाढी निवासी बोला तहसील व जिला
बाड़मेर।


1 आराम 2 राम 3 छगनलाल पिसरान
हनुमानराम जाति ब्राह्मण 4 गोसाईराम 5
दीपाराम पिसरान काछबाराम जाति मेघवाल 6
जोगाराम 7 जैरामराम 8 रिडमलराम 9 पूराराम
पिसरान पूनमाराम 10 हुकमाराम 11 हिमथाराम
12 मोहनराम 13 गंगाराम पिसरान हेमाराम 14
जोगाराम 15 बांकाराम पिसरान चैनाराम 16
केशी पत्नी चैनाराम जाति जाट 17 अणसी पत्नी
मिश्री 18 अणसी पतनी भंवरा जाति ढाढी
निवासी बोला 19 जमाखान 20 खमीशा पिसरान
तैयब खां जाति मुसलमान निवासी देरासर
तहसील व जिला बाड़मेर 21 तहसीलदार
बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 160/2022

दिनांक-08-12-22

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बोला पटवार क्षेत्र बोला तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 434/176 रकबा 5.0181 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2022/4799-4802

दिनांक-14-12-22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बोला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मोहनराम पुत्र गोरधनराम वगैराह जाति ढाढी निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी आसूराम पुत्र हनुमानराम वगैराह जाति ब्राह्मण निवासी बोला तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर